(1941)

#### LEAVE RULES OF THE UNIVERSITY TEACHERS

(Under Section 6(xxiii) and 31(2) of the Rajiv Gandhi University Act, 2006)
(Approved vide Executive Council Resolution No. EC31:03 Dated: October 14, 2020 and EC32:02 Dated Oct. 29, 2020)

#### 1. Duty Leave

Duty leave of a maximum of 30 days in an academic year shall be granted for the following:

- a) Attending Orientation Programme, Refresher Course, Research Methodology Workshop, Faculty Induction Programme, Conference, Congress, Symposium and Seminar, as a delegate nominated by the University or with the permission of the University;
- b) Delivering lectures in institutions and universities at the invitation of such institutions or universities received by the University and accepted by the Vice Chancellor;
- c) Working in another Indian or foreign University, any other agency, institution or organization, when so deputed by the University;
- Participating in a delegation or working on a committee appointed by the Central Government, State Government, the UGC, a sister University or any other academic body; and
- e) For performing any other duty assigned to him/her by the University.
  - 1) The duration of leave shall be such as may be considered necessary by the sanctioning authority on each occasion.
  - 2) The leave shall be granted on full pay. Provided that if the teacher receives a fellowship or honorarium or any other financial assistance beyond the amount needed for normal expenses, he/she shall be sanctioned duty leave on reduced pay and allowances.
  - Duty leave shall be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave, or Casual Leave.
  - 4) Duty leave should be given also for attending meetings in the UGC, DST, etc. where a teacher is invited to share his/her expertise with academic body, government agency or NGO.

#### 2. STUDY LEAVE:

- (i) The scheme of Study Leave shall provide an opportunity to avail of scholarships/ fellowships awarded to the faculty who wish to acquire new knowledge and to improve analytical skills. When a teacher is awarded a scholarship or stipend (by whatever nomenclature called), for pursing further studies, leading to a Ph.D./Post-Doctoral qualification or for undertaking a research project in a higher education institution abroad, the amount of the scholarship/ fellowship shall not be linked to the recipient's pay/salary paid to him/her by his /her parent institution. The awardee shall be paid salary for the entire duration of fellowship/ scholarship, provided that he/she does not take up any other remunerative jobs, like teaching, in the host country.
- (ii) A teacher on Study Leave shall not take up, during the period of that leave, any regular or part-time appointment under an organisation in India or abroad. He/she shall, however, be allowed to accept a fellowship or a research scholarship or an ad-hoc teaching and research assignment with an honorarium or any other form of assistance, other than the regular employment in an institution either in India or abroad, provided that the Executive Council/Academic Council of his/her parent institution shall, if it so desires, sanction study leave on reduced pay and allowances to the extent of any receipt in this regard, in-lieu of teaching etc., which shall be determined by his/her employer.
- (iii) The study leave shall be granted to an entry-level appointee as Assistant Professor/ Assistant Librarian/Assistant Director of Physical Education and Sport (other than as Associate Professor or Professor of a University, who is otherwise eligible for sabbatical leave) after a minimum of three years of continuous service, to pursue a special line of study or research directly related to his/her work in the University/College/Institution or to make a special study of the various aspects of University organisation and methods of education, giving full plan of the work.
- (iv) The study leave shall be granted by the Executive Council/Academic Council on the recommendation of the Head of the Department concerned. The leave shall not be granted for more than three years in one spell, save in exceptional cases, in which the Executive Council/ Academic Council is satisfied that such extension is unavoidable on academic grounds and necessary in the interest of the University.
- (v) The study leave shall not be granted to a teacher who is due to retire within five years of the date on which he/she is expected to return to duty after the expiry of study leave.
- (vi) The study leave shall be granted not more than twice during one's entire career. However, the maximum period of study leave admissible during the entire service shall not exceed five years.

- (vii) The study leave shall be granted more than once, provided, that not less than five years have elapsed after the teacher returned to duty on completion of the earlier spell of study leave. For subsequent spell of study leave, the teacher shall indicate the work done during the period of earlier leave as also give details of work to be done during the proposed spell of study leave.
- (viii) No teacher who has been granted study leave shall be permitted to alter substantially the course of study or the programme of research without the permission of the Executive Council/Academic Council. In the event the course of study falls short of study leave sanctioned, the teacher shall resume duty on the conclusion of the course of study unless the previous approval of the Executive Council/ Academic Council to treat the period of short- fall as Extra-Ordinary leave has been
- Subject to the maximum period of absence from duty, on leave not exceeding three years, the study leave shall be combined with the earned leave, half-pay leave, extra-ordinary leave of vacation provided that the earned leave at the credit of the teacher shall be availed of at the discretion of the teacher. When the study leave is taken in continuation of vacation, the period of study leave shall be deemed to begin to run on the expiry of the vacation. A teacher, who is selected to a higher post during the study leave, shall be placed in that position and shall get the higher scale only after joining
- The period of study leave shall count as service for purpose of the retirement benefits (x) (pension/contributory provident fund), provided that the teacher rejoins the University on the expiry of his/her study leave, and serves the institution for the period for which the Bond has been executed.
- The study leave granted to a teacher shall be deemed to have been cancelled in case it is not availed (xi) of within 12 months of its sanction, provided, that where the study leave granted has been so cancelled, the teacher shall apply again for such leave.
- A teacher availing himself/herself of the study leave, shall undertake that he/she shall serve the University/College/Institution for a continuous period of at least three years to be calculated from the date of his/her resuming duty on the expiry of the study leave.
- (xiii) A teacher
  - a) who is unable to complete his/her studies within the period of study leave granted to him/her, or
  - b) who fails to re-join the services of the University on the expiry of his/her study leave or
  - c) who re-joins the service of the University but leaves the service without completing the prescribed period of service after re-joining the service, or
  - d) who, within the said period, is dismissed or removed from the service by the University shall be liable to refund, to the University/College/Institution, the amount of the leave salary and allowances and other expenses, incurred on the teacher or paid to him/her or on his/her behalf in connection with the course of study. Explanation:

If a teacher asks for extension of the study leave and is not granted the extension but does not re-join duty on the expiry of the leave originally sanctioned, he/she shall be deemed to have failed to re-join the service on the expiry of his/her leave for the purpose of recovery of dues under these Regulations.

Notwithstanding the above provision, the Executive Council/Academic Council shall order that nothing in these Regulations shall apply to a teacher who, within three years of return to duty from study leave shall be permitted to retire from service on medical grounds, provided further that the Executive Council/Academic Council shall, in any other exceptional case, waive or reduce, for reasons to be recorded in writing the amount refundable by a teacher under these Regulations.

- (xiv) After the leave has been sanctioned, the teacher shall, before availing himself/herself of the leave, execute a bond in favour of the University, binding himself/herself for the due fulfilment of the conditions laid down in paragraph (x) to (xiii) above and give security of immovable property to the satisfaction of the Finance Officer or a fidelity bond of an insurance company or a guarantee by a scheduled bank or furnish security of two permanent teachers for the amount which might become refundable to the University in accordance with paragraph (x) to (xiii) above.
- The teacher on study leave shall submit to the Registrar of his/her parent University six-monthly reports of progress in his/her studies from his/her Supervisor or the Head of the institution. Such report shall reach the Registrar/Principal within one month of the expiry of every six months of the period of the study leave. If the report does not reach the Registrar/Principal within the specified time, the payment of leave salary shall be deferred till the receipt of such report.
- (xvi) The teacher on leave shall submit a comprehensive report on the completion of the study leave period. A copy of the research document/monograph/academic paper produced during the period of the study leave shall be put in the public domain, preferably on the website of the University.

3

(xvii) With a view to enhancing the knowledge and skills of the faculty members, especially the junior faculty, at the level of Assistant Professor, the Heads of universities and their subordinate Departments are enjoined to be generous in the award of study leave in the interest of faculty improvement, thereby impacting the academic standards of the University in the long run.

#### 3. SABBATICAL LEAVE:

- (i) Permanent, whole-time teachers of the University and colleges who have completed seven years of service as Associate Professor or Professor shall be granted sabbatical leave to undertake study or research or other academic pursuit solely for the object of increasing their proficiency and usefulness to the University and higher education system.
- (ii) The duration of leave shall not exceed one year at a time and two years in the entire career of a teacher.
- (iii) A teacher, who has availed himself/herself of study leave, would not be entitled to the sabbatical leave until after the expiry of five years from the date of the teacher's return from the previous study leave or any other kind of training programme of duration one year or more.
- (iv) A teacher shall, during the period of sabbatical leave, be paid full pay and allowances (subject to the prescribed conditions being fulfilled) at the rates applicable to him/her immediately prior to his/her proceeding on sabbatical leave.
- (v) A teacher on sabbatical leave shall not take up, during the period of that leave, any regular appointment under another organization in India or abroad. He/she shall, however, be allowed to accept a fellowship or a research scholarship or ad hoc teaching and research assignment with honorarium or any other form of assistance, other than regular employment in an institution of advanced studies, provided that in such cases the Executive Council/Academic Council shall, if it so desires, sanction sabbatical leave on reduced pay and allowances.
- (vi) During the period of sabbatical leave, the teacher shall be allowed to draw the increment on the due date. The period of leave shall also count as service for purposes of pension/contributory provident fund, provided that the teacher re-joins the University on the expiry of his/her leave.

# 4. OTHER KINDS OF LEAVE RULESFOR PERMANENT TEACHERS OF THE UNIVERSITY

- (i) The following kinds of leave shall be admissible to the permanent teachers:
  - a) Leave treated as duty, viz. Casual leave, Special casual leave, and Duty leave;
  - b) Leave earned by duty, viz. Earned leave, Half Pay leave, and Commuted leave;
  - c) Leave not earned by duty, viz. Extraordinary leave; and Leave not due;
  - d) Leave not debited to leave account
  - e) Leave for academic pursuits, viz. Study leave and Sabbatical leave/Academic leave;
  - f) Leave on grounds of health, viz. Maternity leave and Quarantine leave.
- (ii) The Executive Council/Academic Council shall grant, in exceptional cases, for the reasons to be recorded in writing, any other kinds of leave, subject to such terms and conditions as it may deem fit to impose.

#### 5. CASUAL LEAVE

- (i) Total casual leave granted to a teacher shall not exceed 8 (eight) days in an academic year.
- (ii) Casual leave shall not be combined with any other kind of leave except special casual leave. However, such casual leave shall be combined with holidays including Sundays. Holidays or Sundays falling within the period of casual leave shall not be counted as casual leave.

## 6. SPECIAL CASUAL LEAVE

- (i) Special casual leave, not exceeding 10 days in an academic year, shall be granted to a teacher:
  - a) To conduct examination of a University/Public Service Commission/Board of Examination or other similar bodies/institutions; and
  - b) To inspect academic institutions attached to a statutory board.
- (ii) In computing the 10 days' leave admissible, the days of actual journey, if any, to and from the places where activities specified above take place, shall be excluded.
- (iii) In addition, special casual leave to the extent mentioned below, shall also be granted;
  - a) To undergo sterilization operation (vasectomy/salpingectomy) under family welfare programme: Leave in this case shall be restricted to 6 working days; and
  - b) To a female teacher who undergoes non-puerperal sterilization: Leave in this case shall be restricted to 14 days.
- (iv) Special casual leave shall not be accumulated, nor can it be combined with any other kind of leave except casual leave. It shall be granted in combination with holidays or vacation by the sanctioning authority on each occasion.

#### 7. EARNED LEAVE

- (i) Earned leave admissible to a teacher shall be:
  - a) 1/30th of actual service including vacation; plus

(2)

b) 1/3rd of the period, if any, during which he/she is required to perform duty during vacation. For purposes of computation of period of actual service, all periods of leave except casual,

special casual and duty leave shall be excluded.

(ii) Earned leave at the credit of a teacher shall not accumulate beyond 300 days. The maximum earned leave that shall be sanctioned at a time shall not exceed 60 days. Earned leave exceeding 60 days may, however, be sanctioned in the case of higher study, or training, or leave with medical certificate, or when the entire leave, or a portion thereof, is spent outside India. For avoidance of doubt, it shall be noted:

When a teacher combines vacation with earned leave, the period of vacation shall be reckoned as leave in calculating the maximum amount of leave on average pay which shall be included

in the particular period of leave.

b) In case where only a portion of the leave is spent outside India, the grant of leave in excess of 120 days shall be subject to the condition that the portion of the leave spent in India shall not in the aggregate exceed 120 days.

Encashment of earned leave shall be allowed to members of the teaching staff as applicable to

the employees of Central/State Governments.

#### 8. HALF-PAY LEAVE

(i) Half-pay leave shall be sanctioned for a period of 20 days to a permanent teacher for each completed year of service. Such leave shall be granted on the basis of a medical certificate from a registered medical practitioner, for any private affairs or for academic purposes.

a) Explanation: A "completed year of service" means continuous service of specified duration under the University and includes periods of absence from duty as well as leave including

extraordinary leave.

b) Note: Half-pay leave shall be combined with earned leave for calculating the number of earned leaves in case the number of earned leaves are less than 300 for purpose of encashment of leave at the time of superannuation as applicable to the employees of Government of India/State Government.

#### 9. COMMUTED LEAVE

(i) Commuted leave, not exceeding half the amount of half pay leave due, shall be granted to a permanent teacher on the basis of medical certificate from a registered medical practitioner subject to the following conditions:

a) Commuted leave during the entire service shall be limited to a maximum of 240 days;

b) When commuted leave is granted, twice the amount of such leave shall be debited against the

half-pay leave due; and

c) The total duration of earned leave and commuted leave taken in conjunction shall not exceed 240 days at a time. Provided that no commuted leave shall be granted under these rules unless the authority competent to sanction leave has reason to believe that the teacher shall return to duty on its expiry.

#### 10. EXTRAORDINARY LEAVE

(i) A permanent teacher shall be granted extraordinary leave when:

a) No other leave is admissible; or

b) Other leave is admissible and the teacher applies in writing for the grant of extraordinary leave.

(ii) Extraordinary leave shall always be without pay and allowances. Extraordinary leave shall not count for an increment except in the following cases:

a) Leave taken on the basis of medical certificates;

b) Cases where the Vice Chancellor is satisfied that the leave was taken due to causes beyond the control of the teacher, such as inability to join or rejoin duty due to civil commotion or a natural calamity, and the teacher has no other kind of leave to his credit;

c) Leave taken for pursuing higher studies; and

d) Leave granted to accept an invitation to a teaching post or fellowship or research-cumteaching post or on assignment for technical or academic work of importance.

Extraordinary leave shall be combined with any other leave except casual leave and special casual leave, provided that the total period of continuous absence from duty on leave (including periods of vacation when such vacation is taken in conjunction with leave) shall not exceed three years except in cases where leave is taken on medical certificate. The total period of absence from duty shall in no case exceed five years in the full working life of the individual.

(iv) The authority empowered to grant leave shall commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave.

11. LEAVE NOT DUE

0

- (i) Leave not due, shall, at the discretion of the Vice Chancellor, be granted to a permanent teacher for a period not exceeding 360 days during the entire period of service, out of which not more than 90 days at a time and 180 days in all on medical certificate. Such leave shall be debited against the halfpay leave earned by him/her subsequently.
- (ii) Leave not due shall not be granted, unless the Vice Chancellor is satisfied that as far as can reasonably be foreseen, the teacher shall return to duty on the expiry of the leave and earn the leave granted.
- (iii) A teacher to whom 'leave not due' is granted shall not be permitted to tender his/her resignation from service so long as the debit balance in his/her leave account is not wiped off by active service, or if he/she refunds the amount paid to him/her as pay and allowances for the period not so earned. In a case where retirement is unavoidable on account of reason of ill health, incapacitating the teacher for further service, refund of leave salary for the period of leave still to be earned shall be waived by the Executive Council. The Executive Council shall waive off, in any other exceptional case, for reasons to be recorded in writing, the refund of leave salary for the period of leave yet to be earned.

#### 12. MATERNITY LEAVE

- (i) Maternity leave on full pay shall be granted to a woman teacher for a period not exceeding 180 days, to be availed of twice in the entire career. Maternity leave shall also be granted in case of miscarriage including abortion, subject to the condition that the total leave granted in respect of this to a woman teacher in her career shall not be more than 45 days, and the application for leave shall be supported by a medical certificate.
- (ii) Maternity leave shall be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave but any leave applied for in continuation of maternity leave shall be granted if the request is supported by a medical certificate.

#### 13. CHILD CARE LEAVE

(i) Women teachers having minor children shall be granted leave up to two years for taking care of their minor children. Child care leave for a maximum period of two years (730 days) shall be granted to the women teachers during entire service period in lines with Central Government women employees. In the cases, where the child care leave is granted more than 45 days, the University shall appoint a part time / guest substitute teacher with intimation to the UGC.

#### 14. PATERNITY LEAVE

(i) Paternity leave of 15 days shall be granted to male teachers during the confinement of their wives, and such leave shall be granted only up to two children.

#### 15. ADOPTION LEAVE

(i) Adoption leave shall be provided as per the rules of the Central Government.

#### 16. SURROGACY LEAVE

- Leave for Surrogacy shall be applicable as per the Rules, Regulations and Norms as laid down by the Government of India.
- 17. Leave shall not be treated as a matter of right. Leave of any kind shall be refused or revoked by the competent authority empowered to grant it without assigning any reason thereof, if the authority considers such action to be in the interest of the University. No leave shall be granted to a teacher when the competent authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire him/ her from service. No leave shall be granted to a teacher when he / she is under suspension.
- 18. Leave shall always be applied for in advance and the sanction of the competent authority obtained before it is availed of except in cases of emergency and for convincing reasons. A teacher on leave shall return to duty after the expiry of the period of leave granted to him/ her with intimation to the authority.
- 19. EMPLOYMENT DURING LEAVE: A teacher on leave shall not, without the written permission of the University taken in advance, engage directly or indirectly in any trade or business whatsoever or in any private tuition or other work to which any emolument/honorarium is attached. However, this prohibition shall not apply to work undertaken in connection with the examination of a University, Public Service Commission, Board of Education/Studies or similar Bodies/ Institutions or to any literary work or publication or radio or extension lectures or with the permission of the Vice-Chancellor, to any other academic work.
- 20. A teacher who absents himself/herself without Leave or remains absent without leave after the expiry of the leave granted to him/her, shall be granted leave for extension by the authority empowered to grant the leave, after production of evidences and satisfactory reasons. Such period shall be debited against his/her leave account as leave without pay unless his/her leave is sanctioned. Willful absence from duty shall be treated as misconduct.
- 21. CONVERSION OF ONE KIND OF LEAVE TO ANOTHER: At a request of the teacher concerned, the University shall convert retrospectively any kind of leave, including extra-ordinary leave, into a leave of different kind which was admissible to him at the time the leave was originally taken; but he/she shall not

- claim such conversion as a matter of right. If one kind of leave is converted into another, the amount of leave salary and the allowances admissible shall be recalculated and arrears of leave salary and allowances paid or the amount overdrawn recovered, as the case may be.
- 22. INCREMENT DURING LEAVE: If increment of pay falls during any leave, other than earned leave, casual leave, special casual leave, duty leave or sabbatical leave, the effect of increase of pay shall be given from the date the teacher resumes duty without prejudice to the normal date of his increment, except in those cases where the leave does not count for increment.
- 23. AUTHORITIES EMPOWERED TO SANCTION LEAVE: The authorities specified in column (3) of the table below are empowered to sanction leave to the extent shown in column (4) thereof. Cases for sanction of leave in excess of these limits or of leave not mentioned below shall be submitted to the Vice Chancellor. Before sanctioning the leave, the sanctioning authority shall ensure that the leave asked for is admissible and is at the credit of the teacher concerned.

Types of Leave	Applicant	Sanctioning Authority	Extent of Authority
Casual Leave	Any teaching staff other than Head of Department/ Director/ Dean	Head of Department/ Director	Full
	Head of Department/Director/ Dean	Vice Chancellor	Full
Duty Leave & Special Casual Leave	Any teaching staff other than Head of Department/ Director/ Dean	Dean	Upto 7 days
		Vice Chancellor	More than 7 days
	Head of Department/ Director/ Dean	Vice Chancellor	Full
Any Other Leave	Any Teaching Staff	Vice Chancellor and/or any other competent authority as provided in the clause	Full
Station Leaving Permission	Any Teaching Staff for any type of leave	Vice Chancellor through Registrar/ Head of Department/ Director	Full

- 24. REMOVAL OF DIFFICULTIES: Any doubt or dispute about the interpretation of the clause mentioned herein this ordinance shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision shall be final and binding. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice-Chancellor shall take such measures as may be necessary for removal of difficulties subject to ratification by the Academic Council.
- 25. Notwithstanding the above any other leave applicable shall be as per UGC/Govt. of India norms.

The University shall suo moto accept the changes or amendments to the rules and regulations made by the GoI/UGC/MoE/Statutory Regulating Authorities and render the same applicable from the date of their notification, in this regard. Such changes/amendments shall be subsequently ratified by the Executive Council.

 $(\lambda)$ 

## विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिये अवकाश नियम

(राजीव गाँधी विश्वविद्यालय अधिनियम ६ की धारा 2006(xxiii) तथा 31(2)के अधीन( (कार्यकारिणी परिषद के प्रस्ताव संख्या EC31:03 दिनांक: 14 अक्टूबर, २०२० और EC32:02 दिनांक 29 अक्टूबर, २०२०से अनुमोदित)

इतर कार्यार्थ अवकाश

i. एक शैक्षणिक वर्ष में निम्नलिखित हेतु अधिकतम : दिनों का कार्यार्थ अवकाश स्वीकृत होगा 30

a. अभिविन्यास कार्यक्रमों, पुनश्चर्या कार्यक्रमों, सम्मेलनों, शोध प्रविधि कार्यशाला, संकाय प्रवर्तन कार्यक्रम, सम्मेलनों, महासम्मेलनों, परिसंवादों तथा संगोष्ठियों में विश्वविद्यालय की ओर से अथवा विश्वविद्यालय से स्वीकृति प्राप्त कर भाग लेने हेतु,

b. अन्य संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा आमंत्रण प्राप्त होने तथा कुलपति द्वारा स्वीकृत होने पर ऐसी

संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देना;

c. विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त होकर भारत अथवा विदेशी विश्वविद्यालय में, अन्य एजेन्सी, संस्था अथवा संगठन में कार्यरत;

 केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सहविश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षिक -निकाय द्वारा नियुक्त किसी समिति में काम करना अथवा शिष्टमंडल में भाग लेना; तथा

e. विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गये किसी अन्य कार्य के क्रियान्वयन हेतु।

- i. प्रत्येक अवकाश की अवधि स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के आवश्यक सुविचार के अनुसार तय होगी।-
- ii. पूर्ण वेतन पर अवकाश स्वीकृत होगा। बशर्ते, यदि प्राध्यापक सामान्य व्यय के लिए आवश्यक राशि के अतिरिक्त कोई अन्य अध्येतावृत्ति अथवा मानदेय अथवा अन्य अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा हो, ऐसी स्थिति में प्राध्यापक की कार्यार्थ अवकाश लघुकृत वेतन तथा भत्तों में स्वीकृति होगी।
- iii. इतर कार्यार्थ अवकाश के साथ अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश अथवा असाधारण अवकाश जोडा जा सकेगा।
- iv. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी निदेशालय इत्यादि की बैठकों में भाग लेने के लिये इतर कार्यार्थ अवकाश दिया जाएगा, जहाँ आमंत्रित प्राध्यापक शैक्षिक निकायों, सरकारी अथवा गैरसरकारी संगठन के साथ अपनी- विशेषज्ञता को साझा करेंगे।

#### 2. अध्ययन अवकाश

- i. अध्ययन अवकाश योजना, प्राध्यापक को छात्रवृत्तितावृत्तिअध्ये/, जो नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या विश्लेषण कौशल में सुधार करना चाहते हैं उनके लिए एक अवसर होगा। जब एक प्राध्यापक को छात्रवृत्ति या वजीफा उ)सका कोई नाम होया /ता के लिए होरेट की योग्य डॉक्टपोस्ट/रेटआगे की शिक्षा के लिए जो डॉक्ट (पक वजीफे में मिलने वाला धन प्राध्या/ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति /न में शोध के लिए शिक्षा संस्थाविदेश में उच्च पक कप्राध्या/ के साथ सम्बद्ध नहीं होगाभत्ते/के वेतनो पूर्ण छात्रवृत्तिवजीफे के दौरान पूर्ण वेतन दिया / जाएगा। यदि वह मानदेय आधारित नौकरी जैसे शिक्षण इत्यादि मेजबान देश में नहीं करता है।
- ii. कोई प्राध्यापक भारत या विदेश की किसी संस्था में अवकाश के दौरान कोई नियमितअंशकालिक नियुक्ति / नहीं ले सकेगा। जबिक प्राध्यापक को अवकाश के दौरान कोई छात्रवृत्तिवजीफा या शोध छात्रवृत्ति या / कोई सहायता कार्य मानदेय या अन्यशोधदत्त/अनौपचारिक शिक्षण, नियमित रोजगार के अतिरिक्त, मान्य होगी। यदि उसकी मूल संस्था की कार्यकारिणी परिषद् अकादिमक परिषद् ऐसा चाहे /ऐसी स्थिति में, अध्ययन अवकाश के दौरान शिक्षण के बदले इस सम्बन्ध में यदि कोई पावती है ऐसी स्थिति में, उसके वेतन एवं भत्ते को घटाकर अवकाश स्वीकृत कर सकती है, जैसा नियोक्ता द्वारा निर्धारित होगा।
- iii. अध्ययन अवकाश सहायक आचार्यसहायक निदेशक शारीरिक शिक्/सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/षा एवं खेलको उनकी सतत (विश्वविद्यालय के सह आचार्य एवं आचार्य को नहीं जो विराम अवकाश के लिए पात्र हैं)/

तीन वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रदान किया जा सकता है। यह अवकाश उनको विशिष्ट प्रकार के शोध, जिससे विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हो अथवा विश्वविद्यालय प्रबंधन या शिक्षा की पद्धतियाँ जैसे विभिन्न

पहलुओं की विशिष्ट शिक्षा पाने के लिए दिया जा सकता है।

iv. सम्बंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कार्यकारिणी परिषद्अकादमिक परिषद् अध्ययन अवकाश । प्रदान करेगी। एक बार में तीन वर्ष की अवधि से अधिक अध्ययन अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा, असाधारण परिस्थिति जिसमें कार्यकारिणी परिषद्अकादमिक परिषद् संतुष्ट हो कि यह विशेष स्थिति है तथा। विस्तार अपरिहार्य है, शैक्षिक आधार पर एवं विश्वविद्यालय के हितों के लिए आवश्यक है ऐसी स्थिति में अधिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

अध्ययन अवकाश ऐसे प्राध्यापकों को स्वीकृत नहीं होगी, जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि अध्ययन अवकाश

के पूर्ण होने तक केवल वर्ष रह जाती हो। 5

vi. सम्पूर्ण सेवाकाल में अध्ययन अवकाश दो बार से अधिक स्वीकृत नहीं होगा। बशर्ते, किन्हीं परिस्थितियों में

भी सम्पूर्ण सेवाकाल की अवकाश की स्वीकृति वर्षों से अधिक नहीं होगी। 5

vii. एक से अधिक बार अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते, पूर्व में लिये गए अवकाश एवं वर्तमान में लिये जाने वाले अवकाश में पांच )5वर्ष से अधिक अंतराल हों। उत्तरावर्ती अवकाश के लिए शिक्षक को ( पूर्व के अवकाश के दौरान किये गए कार्यों के साथ वर्तमान अवकाश में की जाने वाले कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

viii. ऐसे प्राध्यापक, जिनकी अध्ययन अवकाश स्वीकृत है, उन्हें कार्यकारिणी परिषद्अकादिमक परिषद् की पूर्व। अनुमति के बिना अपने अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा शोध कार्यक्रम कोपर्याप्ततः परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। स्वीकृत अध्ययन अवकाश के पूर्ण होने के पूर्व यदि अध्ययन कार्य सम्पूर्ण हो जाता है, ऐसी स्थिति में, प्राध्यापक को अध्ययन कार्य के पूर्ण होते ही सेवा पुनर्ग्रहण करना होगा, बशर्ते, इस अवधि को असामान्य

अवकाश के रूप में कार्यकारिणी परिषद्अकादमिक परिषद् से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की हो।/

सेवा से अधिकतम समय की अनुपस्थिति, अवकाश जो तीन से अधिक ना हो, ऐसी स्थिति में अध्ययन अवकाश को अर्जित अवकाश, अर्ध अर्जित अवकाश, असामान्य अवकाश के साथ जोड़ा जाएगा यदि प्राध्यापक के खाते में है, एवं प्राध्यापक के अधिकार में है। जब अवकाश यन र अध्यके निरन्त (वेकेशन) यन अवकाश काल माना की समाप्ति के बाद अध्य (वेकेशन) अवकाश लिया जाए ऐसी स्थिति में अवकाश जाएगा। एक प्राध्यापक यदि अवकाश के दौरान, उच्च पद प्राप्त करता है ऐसी स्थिति में वह पद एवं वेतन उसके सेवा ग्रहण करने से स्वत होगा।मान्य:

अध्ययन अवकाश का काल सेवा के रूप में मान्य होगा एवं उसको सेवानिवृत्ति लाभ अंशदायी भविष्य /पेंशन) मिलेगा। बशर्ते (निधि, प्राध्यापक अध्ययन अवकाश समाप्त होने पर सेवा पुनग्रहण करे :, एवं उस समय तक

सेवा प्रदान करता रहे, जिस समय तक के लिए उसने अनुबंध किया है।

प्राध्यापक को प्रदान किया गया अध्ययन अवकाश अमान्य हो जाएगा, यदि प्राध्यापक स्वीकृत अध्ययन अवकाश को, स्वीकृति के महीनों के अंदर उसका लाभ नहीं उठाये ऐसी स्थिति में अध्ययन अवकाश जो 12 प्रदान किया गया था, अस्वीकृत होने पर प्राध्यापक पुनः अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन कर सकता

xii. एक प्राध्यापक जिसने अध्ययन अवकाश का लाभ लिया हो, शपथ पत्र देगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक सतत् विश्वविद्यालय को अपनी सेवा प्रदान करेगा। जिसकी गणना उसके सेवा पुनः पदभार ग्रहण करने अथवा अध्ययन अवकाश के समाप्त होने से की जाएगी।

xiii. एक प्राध्यापक -

a. जो स्वीकृत अध्ययन अवकाश के दौरान अपना अध्ययन पूर्ण नहीं कर पाता है या

b. जो अवकाश की अवधि समाप्त होने पर पुन पदभार ग्रहण नहीं कर पाता है या :

c. जो पुनत् निर्धारित समय तक सेवा प्रदान नहीं पदभार ग्रहण के पश्चापदभार ग्रहण करता है परन्तु : करता है या

d. जो, दिए गए समय में, विश्वविद्यालय द्वारा बर्खास्त धन वापिस निकाल दिया जाता है उसको मान्य/ करना होगा, जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय द्वारा उसंस्था/सको वेतन खर्च के रूप में अन्य/भत्ते/ यन कार्य के लिए अवकाश अवधि के दौरान दिया गया हैं।अध्य

र-पष्टीकरण:

यदि कोई प्राध्यापक अध्ययन अवकाश में विस्तार चाहता है लेकिन वो स्वीकार नहीं किया जाता एवं पुन होने पर गणना नहीं करता उसपद अवकाश समाप्त/सेवा :को उसकी सेवा से अनुपस्थित माना

जाएगा एवं निर्धारित मानदेय नियम के अनुसार उससे वापस लिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, कार्यकारिणी परिषद्अकादमिक परिषद् आदेश जारी करेगा कि । ये अधिनियम ऐसे शिक्षक पर लागू नहीं होगा जिसे अध्ययन अवकाश से लौटने के तीन वर्ष के अंदर चिकित्सा कारणों से सेवा निवृत्त की स्वीकृति दी जाएगी। बशर्ते, इन अधिनियमों के अधीन कार्यकारिणी परिषद्अकादिमक परिषद् /, किसी अन्य असाधारण स्थिति में (ऐसे कारण जो लिखित में सूचीबद्ध होंगे) शिक्षक द्वारा वापस किये जाने वाली राशि में छूट य ा कटौती कर सकती है।

xiv. अध्ययन अवकाश स्वीकार होने के उपरांत, प्राध्यापक अवकाश का लाभ उठाने से पहले, विश्वविद्यालय के पक्ष में एक कार्यकारी बॉण्ड भरेगा कि वह ऊपर के अनुच्छेद )X) से )XIII) में दी गयी शर्तों का पालन करेगा एवं अस्थानांतरण संपत्ति, जो वित्त अधिकारीखजांची की संतुष्टि के अनुसार सुरक्षा के लिए गिरवी रखेगा या। या किसी केंद्रीय बैंक की गारेंटी या विश्वविद्यालय के दो स्थायी कंपनी की जमानती बाण्डजमानती बाण्ड अध्यापको के सुरक्षा शपथ पत्र, उस धन का जो विश्वविध्यालय को वापस करना होगा जो अनुच्छेद )X) से )XIII) के अनुसार होगा।

xv. अवकाश प्राप्त प्राध्यापक विश्वविद्यालय के कुलसचिव को अपनी छमाही शिक्षा प्रगति प्रतिवेदन, वर्तमान में शोधरत संस्थान के शोध निदेशकविभागाध्यक्ष से प्राप्त कर जमा करवाएगा। इस तरह की प्रगति प्रतिवेदन । प्राचार्य के पास अध्ययन अ/कुलसचिववकाश के छमहीने पूर्ण होने के एक महीने के अंदर मिल जानी : चाहिए। यदि प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय में कुलसचिव के पास जमा नहीं होती है ऐसी स्थिति में वैतनिक अवकाश की धनराशि तब तक रोक दी जाएगी जब तक प्रगति प्रतिवेदन जमा नहीं करवाई जाती है।

xvi. प्राध्यापक जो अवकाश पर है, अध्ययन अवकाश समाप्त होने पर विस्तृत प्रतिवेदन जमा करेगा। अध्ययन अवकाश के दौरान किया गया कार्य जैसे शोधनाम/-चिह्न शैक्षिक पत्र को सार्वजनिक क्षेत्र जैसे (मोनोग्राम) करवाएगा।विद्यालय की वेबसाइट के लिए उपलब्धविश्व

xvii. प्राध्यापक के ज्ञान एवं कौशल संवर्धन के लिए, मुख्यतसहायक आचार्य के पद पर कार्यरत :, किनष्ठ प्राध्यापक के लिए विश्वविद्यालय के मुखिया एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी, प्राध्यापक के ज्ञान संवर्धन के लिए तथा विश्वविद्यालय के शैक्षिक मानकों में वृद्धि के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए उदारतापूर्ण नज़रिया अपनाया जायेगा।

3. विराम (सबैटिकल)अवकाश

स्थायी, पूर्णकालिक प्राध्यापक जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कार्यरत हो एवं जिसने सह आचार्य या आचार्य के रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, उनको अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता हैं। यह अवकाश शोध करने या शैक्षणिक कार्य के लिए प्रदान किया जायेगा एवं इसका एकमात्र उद्देश्य संकायों को अपनी कार्यक्षमता की दक्षता को बढ़ाना होगा जो विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा के लिए लाभदायक हो।

अध्ययन अवकाश की अवधि एक बार में एक वर्ष से ज्यादा नहीं होगी एवं पूरे सेवा काल में दो वर्ष से ज्यादा

ऐसे प्राध्यापक जिन्होंने अध्ययन अवकाश लिया हो, वे विराम अवकाश के लिए पात्र नहीं होंगे (सबैटिकल), किसी प्राध्यापक को विराम अवकाश तब तक प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक उसके पूर्व अध्ययन अवकाश के बाद पुनः सेवा ग्रहण को पांच वर्ष पूरे नहीं हुए हों अथवा अन्य किसी तरह का प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो।

iv. प्राध्यापक को विराम अवकाश के दौरान पूर्ण वेतन एवं भत्ते दिए जायेंगे यदि उसने निर्धारित समस्त शर्तें पूर्ण ) कीहोंये भत्ते एवं वेतन उस दर पर होंगे जो उसे विराम अवकाश पर जाने से तुरंत पहले मिलते थे। (

v. प्राध्यापकप्राध्यापिका जो सबैटिकल अवकाश में हैं/, वे अवकाश की उस अवधि के दौरान, भारत अथवा विदेश की किसी अन्य संस्था में नियमित नियुक्ति नहीं पा सकेंगे।यद्यपि, ऐसे प्राध्यापकप्राध्यापिका अग्रिम / अध्ययन संस्थान में नियमित रोजगार के अतिरिक्त अध्येतावृत्ति अथवा अनुसंधान छात्रवृत्ति अथवा तदर्थ शिक्षण तथा मानदेय के साथ अनुसंधान सुपुर्द कार्य अथवा वित्तीय सहायता के अन्य रूपों को ग्रहण कर सकते हैं।बशर्ते, ऐसी स्थिति में कार्यकारिणी परिषद्अकादिमक परिषद्/, यदि चाहे ऐसी स्थिति में, लघुकृत वेतन तथा भत्ते के साथ सबैटिकल अवकाश स्वीकृत कर सकती है।

vi. सबैटिकल अवकाश के दौरान, प्राध्यापक को वेतन वृद्धि नियत तिथि से प्राप्त करने की अनुमित होगी। अवकाश की अविध की गणना पेंशनअंशदायी भविष्य निधि। के लिए सेवा के अन्तर्गत की जाएगी, बशर्ते,

प्राध्यापकप्राध्यापिका अवकाश की अवधि पूर्ण होने के साथ विश्वविद्यालय में पुनर्ग्रहण करें।/

## 4. अन्य प्रकार की अवकाश नियमावली

i. नियमित प्राध्यापकों के लिए निम्नलिखित प्रकार के अवकाश स्वीकार्य होंगे:

a. अवकाश जिन्हें ड्यूटी माना जाएगा, यथाआकरिमक अवकाश-, विशेष आकरिमक अवकाश, तथा कार्यार्थ अवकाश;

b. ड्यूटी द्वारा अर्जित अवकाश, यथाअर्जित अवकाश-, अर्धवेतन अवकाश, तथा परिवर्तित अवकाश;

c. ड्यूटी द्वारा अनर्जित अवकाश, यथाअसाधारण अवकाश-; एवं अदेय अवकाश;

d. अवकाश खाते में नामे नहीं होने वाली अवकाश

e. शैक्षिक कारणों से ली गयी अवकाश, यथाअकादिमक /अध्ययन अवकाश तथा सबैटिकल अवकाश -अवकाश;

f. स्वास्थ्य संबंधी अवकाश, यथामातृत्व अवकाश तथा संगरोध अवकाश। -

ii. असाधारण अथवा अपवादात्मक प्रकरणों में, जिनके कारणों का अभिलेखन किया जाना चाहिए, कार्यकारिणी परिषद्अकादिमक परिषद् द्वारा अन्य प्रकार की अवकाश स्वीकृत हो सकती है /, बशर्तें, ऐसे निबंधन एवं शर्तें अधिरोपण हेतु उपयुक्त हों।

### 5. आकरिमक अवकाश

i. एक शैक्षणिक वर्ष में किसी प्राध्यापक को अधिकतम दिनों की आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। 8

ii. विशेष आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं जोड़ी जायेगी।यद्यपि, ऐसी स्थिति में आकस्मिक अवकाश को अवकाशों तथा रविवार के साथ जोड़ा जा सकता है।आकस्मिक अवकाश के दौरान पड़ने वाले अन्य अवकाश तथा रविवार इत्यादि की गणना आकस्मिक अवकाश के रूप में नहीं की जाएगी।

## 6. विशेष आकस्मिक अवकाश

i. एक शैक्षणिक वर्ष में किसी प्राध्यापक को दस )10दिनों से अधिक विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं (
 : होगी

a. विश्वविद्यालयओं में परीक्षा करानेसंस्था/मंडल परीक्षा अथवा अन्य समरूप निकायों/लोक सेवा आयोग/; तथा

b. सांविधिक मंडल ओं का निरीक्षण इत्यादि करने।से सम्बंधित शैक्षणिक संस्था (बोर्ड)

ii. दस )10दिन की स्वीकार्य अवकाश की गणना पद्धति (, कार्यक्रम स्थल पर जाने तथा वहाँ से वापसी के दौरान खर्च होने वाले दिनों की गणना अवकाश के अंतर्गत नहीं होगी।

विशेष आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त, अधोवर्णित विस्तार अवकाश की भी स्वीकार्यता प्रदान की जा

a. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी ऑपरेशन कराने पर ऐसे (पुरुष नसबंदी अथवा नालबंदी)

) :मामलो में छ6दिवस तक ही अवकाश सीमित होगी-दिनों के कार्य (; तथा

b. प्राध्यापिका जो नॉनप्युर-पेरल नालबंदी करवाती है ) ऐसे मामलो में चौदह :14दिनों की अवकाश ( सीमित होगी।

विशेष आकस्मिक अवकाश संचित नहीं होंगे, न ही, आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जुड़ेंगे। प्रत्येक अवसर पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा इसे अवकाशों एवं लम्बे अवकाश के साथ जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती हैं।

## 7. अर्जितअवकाश

प्राध्यापको के लिए अर्जित अवकाश ऐसी स्थिति में स्वीकार्य होंगे:

a. अवकाश 1 के साथ वास्तविक सेवा का (वेकेशन)/वां30; तथा

b. अवकाश के दौरान यदि वह कार्य निष्पादन करता है (वेकेशन), ऐसी स्थिति में उस अवधि का 1/3(एक तिहाईवास्तविक सेवा के समय का अभिकलन करते समय आकरिमक ,समय (, विशेष आकरिमक तथा कार्यार्थ अवकाश सम्मिलत नही होगा।

एक प्राध्यापक के खाते में तीन सौ )300दिनों से अधिक अर्जित अवकाश संचित नहीं होगा। एक समय में ( दिनों का अर्जित अ 60 अधिकतमवकाश स्वीकृत होगा। यद्यपि, दिनों से अधिक अर्जित अवकाश उच्च 60 शिक्षण अथवा प्रशिक्षण अथवा स्वास्थय प्रमाण पत्र के साथ, अवकाश की सम्पूर्ण अवधि अथवा कुछ भाग भारत के बाहर बिताये गए हो, ऐसी स्थिति में स्वीकृत की जा सकती है। किसी भी प्रकार के संदेह से बचने हेतु, यह ध्यान में रखा जाये :

a. जब कोई प्राध्यापक अवकाश को अवकाश के साथ जोड़ता है ऐसी स्थिति में औसत वेतन पर (वेकेशन) अधिकतम अवकाश के परिकलन के दौरान अवकाश की अवधि की संगणना अवकाश के रूप में की

जाएगी जिसे अवकाश की विशेष अवधि में सम्मिलित किया जा सके।

b. यदि भारत के बाहर अवकाश का केवल कुछ हिस्सा खर्च होता है, ऐसी स्थिति में अवकाश की स्वीकृति इसी शर्त पर होगी कि, भारत में बितायी गयी कुछ अवकाश की अवधि 120 दिनों से अधिक न हो।

c. अर्जित छुट्टियों का नगदीकरण शिक्षकों के लिए स्वीकार होगा, जैसा कि केंद्रीयराज्य सरकार के । कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

## 8. अर्धवैतनिक अवकाश

स्थायी प्राध्यापक को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष के पूर्ण होने पर दिनों का अर्धवैतनिक अवकाश स्वीकार्य 20 होगा। ऐसी स्थिति में अवकाश की स्वीकृति, पंजीकृत चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत प्रकरणों के लिए अथवा शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर की जा सकती है।

a. स्पष्टीकरण : " सेवा में पूर्ण वर्ष" अर्थात विश्वविद्यालय के अंतर्गन विनिर्दिष्ट समयाविध में क्रमबद्धता के साथ लगातार सेवारत होना, जिसमे, सेवा में अनुपस्थिति तथा अवकाश एवं विशेष अवकाश इत्यादि

समय सम्मिलित हैं।

b. 'नोटअर्धवैतनिक अवकाश की गणना अर्जित अवकाश के साथ की जाएगी यदि :, सेवानिवृत्ति के समय छुट्टियों के नगदीकरण के दौरान अर्जित अवकाश की संख्या से कम हो 300ऐसी स्थिति में, जैसा कि केंद्र सरकारराज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू/ होता है।

9. रूपांतरित (कम्यूटेड)अवकाश

रूपांतरित अवकाश, प्राप्य अर्धवैतनिक अवकाश के आधे से अधिक न हो कि स्वीकृति पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी प्राध्यापक को निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखकर दी जा सकती है:

(12)

- a. सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान रूपांतरित अवकाश अधिकतम दिनों तक सीमित होगी 240;
- b. रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति के दौरान, प्राप्य अर्धवैतनिक अवकाश में इस तरह के दोगुने अवकाश नामें होंगीं; तथा
- c. समुच्च में एक साथ ली गयी अर्जित अवकाश एवं रूपांतिरत अवकाश की कुल अविध दिनों स 240े अधिक नहीं होनी चाहिए। इन नियमों के अधीन कोई भी परिवर्तित अवकाश स्वीकार नहीं होगी बशर्तें, जब तक सक्षम प्राधिकारी के पास स्वीकृति के लिए पर्याप्त कारण हो कि प्राध्यापक अवकाश के समाप्ति पर सेवा को पुनर्ग्रहण करेगा।

#### 10. असाधारण अवकाश

- i. स्थायी प्राध्यापक को असाधारण अवकाश स्वीकृत की जा सकती है जब :
  - a. कोई अन्य अवकाश स्वीकार्य न हो; अथवा
  - b. अन्य अवकाश स्वीकार्य होने के बावजूद यदि प्राध्यापक लिखित में असाधारण अवकाश के लिए आवेदन करे ऐसी स्थिति में।
- ii. असाधारण अवकाश सदैव बिना वेतन तथा भत्ते की होगी। निम्नलिखित प्रकरणों के अतिरिक्त असाधारण अवकाश की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं होगी :
  - a. स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार प्राप्त अवकाशा
  - ऐसी स्थिति में जहाँ कुलपितप्राचार्य को यह संतुष्टि हो जाये कि स्थिति प्राध्यापक के नियंत्रण के बाहर /
     थी, जैसे नागरिक अशांति अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण काम पर नहीं आ पाने अथवा पुनर्ग्रहण नहीं कर पाने की स्थिति में, बशर्ते प्राध्यापक के खाते में कोई अन्य प्रकार की अवकाश शेष नहीं रहने पर;
  - c. उच्चतर अध्ययन के लिए ली गयी अवकाश; तथा
  - d. अध्यापन पद अथवा अध्येतावृति अथवा शोध एवं अध्यापन पद अथवा तकनीकी अथवा अकादिमक महत्व वाले कार्य के लिए सुपुर्द कार्य हेतु आमंत्रण के लिए स्वीकृत अवकाश।
- iii. आकरिमक अवकाश तथा विशेष आकरिमक अवकाश के अतिरिक्त असाधारण अवकाश किसी भी अन्य अवकाश के साथ जोड़ी जा सकती है, बशर्ते स्वास्थ सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त अवकाश के प्रकरणों के अतिरिक्त निरंतर अनुपस्थित (वेकेशन) अवकाश के दौरान जुड़ने वाली लम्बी अवकाश) वर्ष से अधिक न हो। किसी कर्मचारी के सम्पूर्ण कार्य जीवन में कार्य से 3 की कुल अविध (कालाविध सिहत वर्षों से अधिक न हो। 5 अनुपस्थित की कुल कालाविध
- iv. अवकाश स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी पूर्वव्यापी प्रभाव से बिना किसी अवकाश के अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर सकते हैं।

#### 11. अदेय अवकाश

- स्थायी प्राध्यापक को उसकी सम्पूर्ण सेवा कालाविध में कुलपित 360 प्राचार्य के विशेषाधिकार में अधिकतम/ दिनों की अदेय अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, जिनमें से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त एक समय में दिनों की अवकाश स्वीकृत नहीं होगी। 180 दिनों से अधिक तथा सम्पूर्णता में 90 तत्पश्चात इस तरह की अवकाश प्राध्यापक द्वारा अर्जित अर्धवैतनिक अवकाश में से नामे होगी।
- ii. अदेय अवकाश की स्वीकृति तब तक नहीं होगी जब तक इस सम्बन्ध में दिए गए कारणों के सम-प्राचार्य संतुष्ट नहीं होंगे/कुलपति, अवकाश के समाप्त होने पर प्राध्यापक ड्यूटी ग्रहण कर स्वीकृत अवकाश को अर्जित करेंगे।
- अदेय अवकाश प्राप्त प्राध्यापक को अपने पद से त्यागपत्र देने की अनुमित तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक वह अपनी मूल पद पर वापस आकर अवकाश नामें बकाया अपनी सेवा देकर समाप्त नहीं करता है, अथवा अपनी अदेय अवकाश के अनुरूप वित्तीय राशि को चुकाकर त्यागपत्र की अनुमित प्राप्त कर सकता है। यदि, स्वास्थ्य संबंधी कारणों हेतु उसे त्यागपत्र देना पड़े ऐसी स्थित में कार्यकारिणी परिषद् अवकाश की उस कालाविध को माफ कर सकती है। उसी क्षेत्र में कार्यकारिणी परिषद् को अपने इस निर्णय के आधार संबंधी

कारणों को लिखित में स्पष्ट करते हुए अवकाश वेतन कालावधि के दौरान अर्जित होने वाली अवकाश को रिकार्ड करना होगा।

12. मातृत्व अवकाश

ं। मातृत्व अवकाश पूरे पारिश्रमिक के साथ, मिहला प्राध्यापकों को उनके पूरे सेवाकाल में दो बार अधिकतम 180 दिनों के लिए प्रदान किया जा सकता है। निष्फल गर्भ मिस्क)ेरिएजसिहत गर्भपात के संदर्भ में भी ( मातृत्वअवकाश दिया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि मिहला शिक्षक को उसके कैरियर में इस संबंध में दी गई कुल अवकाश दिनों से अधिक नहीं है। 45

ii. मातृत्व अवकाश को अर्जित अवकाश, अर्धवेतन भुगतान अवकाश तथा असाधारण अवकाश के साथ संयुक्त किया जा सकता है परन्तु किसी भी अवकाश की निरंतरता के साथ मातृत्व अवकाश की अनुमित चिकित्सीय प्रमाणपत्र के द्वारा आवेदन करने पर ही प्रदान की जा सकती है।

13. शिशु देखभाल अवकाश

i. महिला अध्यापिका अपने अवयस्क बच्चों की देखभाल के लिए दो वर्षों तक की बाल देखभाल अवकाश ले सकती है। शिशु देखभाल अवकाश, दो वर्ष )730 दिनकी अधिकतम अविध के लिए महिला अध्यापिका को ( उसके पूरे सेवाकाल के दौरान केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों के समान दिया जा सकता है। यदि बाल देखभाल अवकाश,45 दिनों से अधिक अविध का होता है ऐसी स्थिति में, यूको सूचित करते हुए .सी.जी. महाविद्/विश्वविद्यालययालयअतिथि प्राध्यापक नियुक्त कर सकता /कालिक-संस्थान वैकल्पिक रूप से अंश/ है।

14. पितृत्व अवकाश

i. पंद्रह )15दिनों का पितृत्व अवकाश पुरुष अध्यापकों की पत्नियों की प्रसवावस्था के दौरान दिया जा सकता ( है, ऐसी स्थिति में अवकाश केवल दो बच्चों तक ही प्रदान किया जाएगा।

15. दत्तक ग्रहण अवकाश (बच्चा गोद लेना)

यह अवकाश केन्द्र सरकार के नियम के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

16. सरोगैसी )Surrogacy) अवकाश

i. भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों तथा मानदंडों के अनुसार किराया कोख अवकाश प्रदान किया जाएगा।

17. अवकाश को अधिकार नहीं समझा जाएगा। बिना कारण बताएँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी तरह के अवकाश को निरस्त किया जा सकता है, यदि अधिकारी समझता है कि यह निर्णय विश्वविद्यालय के हित में है। यदि सक्षम अधिकारी सेवा से हटाने करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय ले चुका हैबर्खास्त/, किसी प्राध्यापक को यदि वह बर्खास्त है ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा।

18. आकस्मिक एवं ठोस कारण के अतिरिक्त, प्राध्यापक को अवकाश के लिए सक्षम अधिकारी को अग्रिम में सूचित कर स्वीकृति लेनी होगी। सक्षम अधिकारी को सूचित करने के साथ प्राध्यापक अवकाश खत्म होने पर पदभार ग्रहण करेगा।

19. अवकाश के दौरान रोजगार: प्राध्यापक अवकाश के दौरान, विश्वविद्यालय की अग्रिम में लिखित स्वीकृति के बगैर कोई निजी ट्यूशनविद्यालय की कार्य नहीं करेगा जिसमें मानदेय मिलता हो। जबिक यह प्रावधान विश्वअन्य/ परीक्षा, लोक सेवा आयोग परीक्षा, शिक्षा मंडलसाहित्यिक कार्य या /संस्था/समान निकाय/ कृति से हुआ शैक्षणिक कार्य जो कुलपित की स्वी नहीं होगा या अन्यन के लिए मान्यख्याव्या/रेडियो/पिब्लिकेशन हो।

20. प्राध्यापक जो सेवा से अनुपस्थित है या जो अवकाश उसको प्रदान किया गया, उसके समाप्त होने पर अनुपस्थित है ऐसी स्थिति में जो अधिकारी अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकृत है अवकाश में विस्तार करेगा। यह काल अविध उसके अवकाश से कम हो जाएगी या गैर वैतिनक मानी जाएगी जब तक उसका अवकाश स्वीकृत नहीं होता। जानबूझकर सेवा से अनुपस्थित रहना दुराचार माना जाएगा।

- 21. एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तन : प्राध्यापक की प्रार्थना पर विश्वविद्यालय प्राध्यापक के एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में, पूर्वप्रभाव से जिसमें असामान्य अवकाश भी सम्मिलित है, बदल सकेगा। बशर्ते प्राध्यापक अवकाश स्वीकृति के समय उस तरह के अवकाश का पात्र हो। यदि एक प्रकार का अवकाश दूसरे प्रकार के अवकाश में बदला जाता है ऐसी स्थिति में वेतन, भत्ते एवं बकाया की दोबारा गणना की जाएगी एवं वेतन भत्ते जो प्राध्यापक को दिए गए हैं, यदि कारण बनता है, ऐसी स्थिति में वापिस
- 22. अवकाश के दौरान वेतन वृद्धि : ऐसी स्थिति को छोड़कर जहां अवकाश वेतनवृद्धि के लिए माना नहीं जाता, यदि अवकाश के दौरान वेतन वृद्धि का समय आता है, ऐसी स्थिति में विराम अवकाश को छोड़कर सामान्य अवकाश, विशेष सामान्य अवकाश, कार्य अवकाश, प्राध्यापक के सेवा ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगा।
- 23. अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत अधिकारी: अवकाश स्वीकृत करने के लिए निम्न तालिका के कालम र है। ऐसी तक विस्ता 4 कृत करने के लिए अधिकृत हैं जिसका कॉलममें दिए गए अधिकारी अवकाश स्वी 3 स्थिति में जहाँ अवकाश निर्धारित से अधिक या तालिका में दिए गए अवकाश से अलग है ऐसी स्थिति में कुलपित को आवेदन करना होगा। अवकाश स्वीकृत करने से पहले अधिकारीसुनिश्चित करेगा कि सम्बंधित प्राध्यापक अवकाश के लिए पात्र है एवं उसके पास अवकाश उपलब्धहै।

अवकाश का प्रकार	आवेदक	संस्वीकृति अधिकारी	प्राधिकारी का
आकस्मिक अवकाश	विभागाध्यक्ष केन्द्र/क्षसंकायाध्य/ पकनिदेशक के अतिरिक्त कोई प्राध्या	निदेशकक्षविभागाध्य/	<b>दायरा</b> पूर्ण
	विभागाध्यक्ष केन्द्र/क्षसंकायाध्य/ निदेशक	कुलपति	पूर्ण
कार्यार्थ अवकाश एवं विशिष्ट	विभागाध्यक्ष केन्द्र/क्षसंकायाध्य/ कोई निदेशक के अतिरिक्त पकप्राध्या	संकायाध्यक्ष कुलपति	दिन तक 7 दिन से अधिक 7
आकस्मिक अवकाश	विभागाध्यक्ष केन्द्र/क्षसंकायाध्य/ निदेशक	कुलपति	पूर्ण
अन्य कोई अवकाश टेशन छोड़ने	कोई प्राध्यापक	कुलपति या अन्य सक्षम अधिकारी	पूर्ण
गे अनुमति	कोई प्राध्यापक किसी भी तरह के अवकाश के लिए	विभागाध्यक्ष / केन्द्र / क्षसंकायाध्य	पूर्ण
ास्याओं का कि	राकरण -:इन समस्त पातकानों के उनक	निदेशक के माध्यम से कुलपति	

- 24. समस्याओं का निराकरण -:इन समस्त प्रावधानों के इतर यदि कोई अन्य समस्या उत्पन्न होती है ऐसी स्थिति में उसका निराकरण कुलपति द्वारा किया जाएगा। इस अध्यादेश में कथितअंकित किसी भी खंड की व्याख्या में / यदि कोई विवाद अथवा संदेह उत्पन्न होता है ऐसी स्थिति में उसे कुलपति के पास भेजा जायेगा, इस सम्बन्ध में कुलपति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस अध्यादेश में सम्मिलित होने के बावजूद, कार्यकारिणी परिषद् से पुष्टि कराने के पश्चात् कुलपति ऐसे कदम उठा सकते हैं, जिनसे समस्याओं का निराकरण हो सके।
- 25. उपरलिखित के अतिरिक्त कोई अन्य उचित अवकाश पर यू भारत सरकार के नियमानुसार निर्णय होगा।/.सी.जी.
- 26. विश्वविद्यालय ,विश्वविद्यालय अनुदान आयोगशिक्षा मंत्रालय/(.सी.जी.यू) , भारत सरकार अथवा अन्य संबंधित सांविधिक नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा निर्मित नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन एवं संशोधनों को स्वतः संज्ञान से

(is)

स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू करेगा। ऐसे परिवर्तनसंशोधनों की / कार्यकारिणी परिषद ्द्वारा तदनंतर पुष्टि की जायेगी।

\*\*\*\*\*\*\*\*